

प्रमाण पत्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निर्धारित भूमि के स्वामित्व संबंधित प्रमाण पत्र

प्रामाणित किया जाता है कि मल्ली बधाणगांव मोटर मार्ग से थौला से माड़ मोटर मार्ग के नव निर्माण में आ रही वन भूमि **8.346 हे०** के दोगुने क्षेत्रफल **16.692 हे०** सिविल सोयम भूमि जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नियमानुसार निर्धारित की गई है। इस भूमि में वर्तमान में राजस्व विभाग का स्वामित्व है एवं सार्वजनिक उपयोग की नहीं है। उक्त भूमि वन भूमि के सैद्धान्तिक स्वीकृति के प्राप्त होने के उपरान्त वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित एवं नामांतरित कर दी जायेगी।

भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम	खसरा	रक्बा
कुमराड़ा	5001	22.916

ह०
राजस्व उपनिरीक्षक

ह०
निदेशिका
विनयसिंह

ह०
उपजिलाधिकारी